कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेलौदी, जिला – बालोद (छ.ग.)

email id : principalgovt.collegebeloudi@gmail.com *website : www.gcbeloudi.in*

क्रमांक :– 375 /अतिथि व्या./2026 बेलौदी,दिनांक – 06.01.2026

(अतिथि व्याख्याता मातृत्व अवकाश के विरूद्ध विज्ञापन)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था/2025 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन का पत्र क्रमांक एफ–3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक–20/06/2024, के परिपालन में 2025–26 हेतु शासकीय नवीन महाविद्यालय बेलौदी में पूर्व अतिथि वयाख्याता वनस्पतिशास्त्र के मातृत्व अवकाश पर होने के कारण उस रिक्त पद के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि सहायक शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 20.01.2026 दिन मंगलवार को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

11. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चत्तर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
12. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
13. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

14. विषय/पदों का विवरणः–

रिक्त पदों की संख्या		
क्र.	**विषय**	**अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक**
01	**वनस्पतिशास्त्र**	**01**

15. टीपः–

संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांन्तरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्तेः–

24. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

25. दिनांक 20.01.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा। वर्तमान में ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्ष्कतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

26. आमंत्रित अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है, एवं पूर्व में किसी

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत /कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यार्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।

27. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यार्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

28. अतिथि व्यख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

29. अतिथि व्यवस्था के अतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः–

क्र	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण
	(अ) 40–50 मिनट के एक व्याख्यान के लिए		
1	40–50 मिनट के लिए एक व्याख्यान के लिए	400 / –	300 / –
2	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 / – (41,600 / – प्रतिदिन अधिकतम)	1200 / – (30,000 / – प्रतिदिन अधिकतम)
	(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए		
3	60 मिनट के लिए एक व्याख्यान के लिए	500 / –	350 / –
4	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 / – (50,000 / – प्रतिदिन अधिकतम)	1400 / – (35,000 / – प्रतिदिन अधिकतम)

30. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयीन स्थापना के अतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

31. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित प्रमुख द्वारा की जायेगी।

32. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशें का पालन करना अनिवार्य होगा।

33. कक्षाओं के संचालन के साथ साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्य यथा– प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

34. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में उनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतों प्राप्त होती है, तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

35. यह भर्ती प्रक्रिया आयुक्त कार्यालय के पत्र के अधीन रहेगा।

प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College Beloudi
Distt.- Balod (C.G.)

पृ.क. 376 / अतिथि व्या. / 2026 बेलौदी, दिनांक :– 06.01.2026

प्रतिलिपि –

07. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक–सी–30 द्वितीय / तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

08. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।

09. प्राचार्य, शासकीय ....महाविद्यालय ....को इस सूचना को सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।

प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College Beloudi
Distt - Balod (C.G.)

Beloudi_guest lect._2025-26_37